रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225824
CG-DL-E-11032021-225824

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942
No. 128] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

सा.का.नि. 169(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 320 (अ) द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचना, 2016 में कुछ संशोधन करने हेतु जारी करने का प्रस्ताव करती है, को एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत उल्लिखित अपेक्षानुसार उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख को अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को पत्र लिखकर अथवा इलैक्ट्रोनिक तरीके से ई-मेल: satyendra.kumar07@nic.in, amit.love@nic.in के माध्यम से भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 320 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावकारी एवं उन्नत ढंग से एकत्रीकरण, पृथक्करण, प्रसंस्करण, शोधन और पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ तरीके से निपटान के लिए नए प्रावधान लाए गए हैं जिनका उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट के सृजन और पर्यावरण पर उसके प्रभाव में कमी लाना है;

नियमों के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों, शीटों अथवा इस तरह की अन्य सामग्रियों के प्रयोग का निषेध किया गया है। साथ ही, नियमों के अनुसार प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग करने वाले पाउचों का उपयोग गुटखा, तम्बाकू और पान मसाले के भंडारण, पैकिंग अथवा विक्रय के लिए नहीं किया जाएगा।

कई राज्य सरकारों द्वारा अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से अपने-अपने राज्यों में प्लास्टिक कैरी बैगों / सिंगल-यूज प्लास्टिकों के प्रयोग पर आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्लास्टिक कैरी बैगों और कुछ सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने / उनका निषेध करने के संबंध में राज्य स्तर पर की गई कार्रवाई के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इन विनियामक प्रावधानों के कार्यन्वयन में अनके प्रकार की चुनौतियों का सामना किया गया है। तथापि, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्यों ने इस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है।

सिंगल-यूज प्लास्टिकों के प्रबंधन के कारण पर्यावरण को होने वाली अत्यधिक क्षति, विशेषरूप से समुद्री पर्यावरण पर उसके प्रतिकूल प्रभाव, तथा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की पहलों को संपूरित करने वाली स्पष्ट कार्य योजना की आवश्यकता पर विचार करते हुए, यह प्रस्तावित है कि अखिल भारतीय स्तर पर कुछ सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, उपयोग, विक्रय, आयात और हथालन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

अत: अब, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के तहत उल्लिखित अपेक्षानुसार इस प्रारूप अधिसूचना को प्रकाशित करती है, जो इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को और उस तारीख से उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

   (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में, नियम 2(1) में, आयातकों शब्द के पश्चात् **'ब्रांड मालिक', "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (पुनश्चक्रक,** को-प्रोसेसर, आदि)" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 में,

   i. खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

   "(ढ क) गैर बुने हुए प्लास्टिक बैग – गैर बुने हुए प्लास्टिक का विनिर्माण यांत्रिक अथवा तापीय अथवा रासायनिक माध्यमों से एक साथ बद्ध उलझे हुए फाइबरों अथवा फिलामेंटों के शीट अथवा जाल संरचना वाले फेब्रिक से (और फिल्मों में छेद करके) किया जाता है। गैर बुना फेब्रिक एक चपटा अथवा गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट होता है जिसे सीधे तौर पर फाइबरों, पिघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक फिल्मों से तैयार किया जाता है"।

   ii. खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

   "(थ क) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण- इसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का हथालन पुन: उपयोग पुनश्चक्रण, सह-प्रसंस्करण अथवा नए उत्पादों के रूप में परिवर्तन के प्रयोजन से किया जाता है"।

   iii. खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

   "(फ क) सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तु – वह प्लास्टिक सामग्री है जिसका उपयोग निपटान करने अथवा पुनश्चक्रित करने से पहले एक ही प्रयोजन के लिए सिर्फ एक बार किया जाना है"।

   iv. खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

   (फ ख) थर्मोसेट प्लास्टिक – वह प्लास्टिक है जो गरम किए जाने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है, और इस कारण से वांछित आकार में नहीं ढाला जा सकता है।

v. खंड (फ ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

(फ ग) थर्मोप्लास्टिक – वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और जिसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है।

4. उक्त नियमों में, नियम (4) में, -

i. 30.09.2021 की तारीख से, खंड (ग), उप-नियम (1) में, 'पचास' शब्द को 'एक सौ बीस (120)' के रूप में पढ़ा जाएगा।

ii. खंड (ज) में, "कैरी बैगों" शब्दों के पश्चात् "और वस्तुएं" शब्द अंतर्विष्ट किए जाते हैं।

iii. खंड (ज) में, "कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों" शब्दों के पश्चात् "और / या वस्तुएं" शब्द अंतर्विष्ट किए जाते हैं।

iv. खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा :

ञ. 30.09.2021 की तारीख से, गैर बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग की प्रत्येक शीट मोटाई में 60 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) अथवा 240 माइक्रोन से कम नहीं होगी।

5. उक्त नियमों में, नियम (4) में, निम्नलिखित उप-नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा:

1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग का निषेध किया जाएगा:

(i) सिंगल-यूज प्लास्टिक पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन सहित) वस्तुएं:

प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में; निमंत्रण कार्ड; और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिंई

(ii) उपर्युक्त उपबंध 2 (i) कम्पोस्टयोज्य प्लास्टिक सामग्री से बनी हुई वस्तुओं (कैरी बैगों सहित) पर लागू नहीं होगा।

3. निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा:

प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की इंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) सजावटी सामग्री,

6. उक्त नियमों में नियम (5), उप-नियम (1), खंड (घ) में शब्द "2000" को "2016" के रूप में पढ़ा जाए।

7. नियम (6), उप-नियम (2), खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाता है:-

(क1) यह सुनिश्चित करें कि सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध/निषेध से संबंधित उपबंधों का पालन किया गया है।

8. नियम (7), उप-नियम (1), खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया गया है।

(क1) यह सुनिश्चित करें कि सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध/ निषेध से संबंधित उपबंधों का पालन किया गया है।

9. उक्त नियमों में, नियम (9) में,-

i. उप-नियम (1) के तहत, "संबंद्ध स्थानीय निकाय", शब्दों के बाद, "इन नियमों के तहत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार", शब्द अंत:स्थापित किए गए हैं।

10. नियम (11) उप-नियम (1) में-

क. 'प्लास्टिक कैरी बैग' शब्दों के बाद; 'प्लास्टिक पैकेजिंग और', शब्द अंत:स्थापित किए जाऐंगे।

ख. खंड (क), 'विनिर्माणकर्ता' शब्दों के लिए 'उत्पादक'/ ब्रांडस्वामी' शब्द अंत:स्थापित किए जाऐंगे और 'कैरी बैग' शब्द के बाद, 'ब्रांड स्वामियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्लास्टिक पैकेजिंग', शब्द अंत:स्थापित किए जाऐंगे

ग. खंड (ख) में, 'बहुस्तरीय पैकेजिंग' शब्दों के बाद, (आयातित सामग्रियों के लिए उपयोग में लाई गई बहु-स्तरीय पैकेजिंग को हटाकर), शब्द, अंत: स्थापित किए जाऐंगे

घ. खंड (ग) में, 'नाम और प्रमाणपत्र संख्या' शब्दों के बाद, 'उत्पादक' शब्द अंत: स्थापित किया जाऐगा।

10. नियम (12) में-

क. उप-नियम (2) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के बाद, 'पर प्रतिबंध/ निषेध', शब्द अंत: स्थापित किए जाऐंगे।

ख. उप-नियम (3) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के बाद, 'पर प्रतिबंध/ निषेध', शब्द अंत: स्थापित किए जाऐंगे।

11. नियम (13) में,

क. उप-नियम (1) में 'संबंद्ध संघ राज्य क्षेत्र' शब्द के बाद, 'या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' शब्द अंत: स्थापित किया जाता है।

[फा.सं. 17-2/2001(पार्ट)पार्ट-I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:

i. मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 320 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

ii. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 285 (अ), तारीख, 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

G.S.R. 169(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: satyendra.kumar07@nic.in, amit.love@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016 were notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016 bringing new provisions for effective and improved collection, segregation, processing, treatment and disposal of the plastic waste in an environmentally sound manner thereby, reducing the plastic waste generation and its impact on the environment;

Whereas, the Rules, inter alia, prohibit the use of plastic bags, sheets or like with thickness less than 50 microns. Also sachets using plastic material, as per the Rules, shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala.

Whereas, many State Governments through their own notifications have imposed partial or complete ban on the use of plastic carry bags/single-use plastic items in their respective States.

Whereas, a preliminary analysis of the State level action on restriction/prohibition of plastic carry bags and some single-use plastic items suggests that many challenges have been faced in the implementation of these regulatory provisions. However, some States have reportedly achieved considerable success.

Whereas, considering the high environmental costs associated with management of single-use plastics, particularly the adverse effect on marine environment, and the need for a definitive action supplementing the initiative undertaken by various States/UTs to combat plastic pollution, it is proposed that a prohibition on the manufacture, use, sale, import and handling of some of the single-use plastic items may be imposed on a pan India basis.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby publishes this draft notification as required under sub-rule 3 of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make the following amendments in the said notification, namely:—

1. (I) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in Rule 2(1), after the word Importers, the word, "**brand-owner**", **"plastic waste processor (recycler,** co-processor, etc.)" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 3,

i. after clause (n), the following clause shall be inserted namely :-

"(na) Non-woven plastic bag-Non-woven plastic bag is made up of sheet or web structured fabric of entangled fibers or filaments (and by perforating films) bonded together by mechanical or thermal or chemical means. The Non-woven fabric is a flat or tufted porous sheet that is made directly from fibres, molten plastic or plastic films."

after clause (q), the following clause shall be inserted namely: -

"(qa) Plastic Waste Processing - means any process by which plastic waste is handled for the purpose of reuse, recycling, co-processing or transformation into new products.

iii. after clause (v), the following clause shall be inserted namely: -

"(va) Single-use plastic item

-is a plastic commodity intended to be used once for the same purpose before being dispose of or recycled."

iv. after clause (v), the following clause shall be inserted namely: -

(vb) Thermoset plastic- is a plastic which becomes irreversibly rigid when heated, and hence cannot be remoulded into desired shape.

v. after clause (vb), the following clause shall be inserted namely: -

(vc) Thermoplastic – is a plastic which softens on heating and can be moulded into desired shape.

4. In the said rules, in rule 4, -

i. In sub-rule (1) clause (c), the word 'fifty' may be read as 'one hundred and twenty (120) with effect from 30.9.2021'

ii. In sub-rule (1) clause (h), after the words, "carry bags", the words, "and commodities" is inserted.

iii. In sub-rule (1) clause (h), after the words, "compostable plastic carry bags", the word, "and/or commodities" is inserted.

iv. After sub-rule (1) clause (i), following clause shall be inserted:

j. Each sheet of non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 (GSM per square meter) or 240 microns in thickness with effect from 30.9.2021.

5. In the said rules, in rule 4, following sub-rule shall be inserted:

(2) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single-use plastic commodities shall be prohibited from 1st January, 2022:

Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration.

(3) the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single-use plastic commodities shall be prohibited from 1st July, 2022:

i. single-use plastic (including polystyrene and expanded polystyrene) items:

plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping/packing films around sweet boxes; invitation cards; and cigarette packets, plastic/PVC banners less than 100 micron, stirrers.

ii. the above provision shall not apply to commodities (including carry bags) made of compostable plastic material.

6. In the said rules, in rule 5, sub-rule (1), clause (d), the word "2000" may be read as "2016".

7. In rule 6, sub-rule (2), after clause (a), following clause is inserted: -

(a1) Ensuring that provisions pertaining to restrictions/prohibition on single-use plastics are adhered to.

8. In rule 7, sub-rule (1), after clause (a), following clause is inserted: -

(a1) Ensuring that provisions pertaining to restrictions/prohibition on single-use plastics are adhered to.

9. In the said rules, in rule 9, -

i. under sub-rule (1) after the words, "local body concerned", the words, "as per guidelines issued from time to time under these Rules" is inserted.

10. In rule 11, sub-rule (1).

a. after the words 'plastic carry bag' the words ', plastic packaging' shall be inserted.

b. in clause (a), for the words 'manufacturer' the words 'producer/ brand-owner' shall be inserted and after the word 'carry bag' the words 'plastic packaging used by the brand owner' shall be inserted

c. in clause (b), after the words 'multilayered packaging' the words '(excluding multi-layered packaging used for imported goods)' shall be inserted.

d. in clause (c), after the words 'name and certificate number' the word 'of producer' shall be inserted.

10. In rule 12-

a. in sub-rule (2), after the words "waste generator' the words 'restriction/prohibition on' shall be inserted.

b. in sub-rule (3), after the words "waste generator' the words 'restriction/prohibition on' shall be inserted.

11. In rule 13,

a. in Sub-Rule (1) after the word Union Territory concerned the word 'or the Central Pollution Control Board' is inserted.

[F. No. 17-2-2001 (Pt)-PartI -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Note-

i. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 320 (E), dated the 18th March, 2016.

ii. Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 285 (E), dated the 27th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.